न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 66/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 पीराराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई की ढाणी (भाणिया) तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।		1. झालाराम पुत्र धन्नाराम 2. भारमल पुत्र धन्नाराम 3. मानाराम पुत्र धन्नाराम 4. जगदीश उर्फ जगाराम जाति विश्नोई, नि0 विश्नोईयो की ढाणी(भाणिया) तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

01. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री देवेन्द्र व्यास, एवं श्री दिव्यानंद शर्मा अप्रार्थी संख्या 01 व 03 अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– **दिनांकः 22.07.2022**

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा भाणिया तह0 सोजत जिला पाली में प्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 276 रकबा 4.9400 है0 बा0अ0 की स्थित है। जिस पर प्रार्थी बतौर खातेदार शांतिपूर्वक तरीके से काबिज काश्त चले आ रहा है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के पड़ौस में अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि खसरा नंबर 275, अप्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि खसरा नंबर 275/2, अप्रार्थी संख्या 04 की कृषि भूमि खसरा नंबर 275/3 कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि एवं प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में मिला देते है तथा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने के आशय से लड़ाई झगड़ा एवं टंटा फसाद करते रहते है। प्रार्थी के द्वारा पूर्व में भी अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पेमाईश करवाने हेतु तहसीलदार , सोजत से आदेश प्राप्त कर पेमाईश करवाना चाहा, तब भी अप्रार्थीगण द्वारा वाद विवाद किया गया एवं मौके पर पैमाईश नही होने दी। अप्रार्थी संख्या में अधिक है तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में फसल की सुरक्षा हेतु तारबंदी करवाना चाहता है। लेकिन अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि की पेमाईश करवाने में बाधा एवं अवरोध पैदा करते रहते है तथा तारबंदी भी नही करने देते, ऐसी स्थिति में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नबर 276 रकबा 4.9400 है कृषि भूमि की सीमाओं का सीमांकन पत्थरगढी के जरिए करवाना चाहता है, जो करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र व्यास एवं श्री दिव्यानंद शर्मा ने वकालतनामा पेश किया सा0मि0 किया गया। जबाब प्रा0 पत्र पेश नही किये जाने से जबाब प्रा0 पत्र पेश करने का अवसर समाप्त किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 व 04 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 22.07.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र प्रार्थी की सरहद मौजा भाणिया तह0 सोजत जिला पाली में प्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 276 रकबा 4.9400 है0 बा0अ0 की कृषि भूमि का बरूवे मौका राजस्व रेकर्ड

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

एवं राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर नापचौप करके सीमांकन करवाकर मुटाम लगवाया जावें तत् पश्चात् मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवायी जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थी ने गलत व मनगढत तथ्य के साथ गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे खारिज जावे। तहसीलदार, सोजत ने व्यक्त किया कि प्रार्थित भूमि का यदि सीमांकन किया जाकर जरिए पत्थरगढी मुटाम कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाने तो कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा भाणिया तह0 सोजत जिला पाली में प्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 276 रकबा 4.9400 है0 बा0अ0 की कृषि भूमि प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा काश्त की भूमि स्थित का सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाने की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेशः–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद सरहद मौजा भाणिया तह0 सोजत जिला पाली में प्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 276 रकबा 4.9400 है0 बा0अ0 की कृषि भूमि प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु तहसीलदार सोजत आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 22.07.2022 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत